न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच0जे0एस0)
(JO CODE UP2002)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–910 सन् 2026
CNR No. UPGH010022582026

बहादुर यादव उर्फ घूरा यादव उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र मक्कन यादव निवासी ग्राम शहबाजपुर, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर। हाल मुकाम ग्राम अरशदपुर, थाना जंगीपुर, जिला गाजीपुर।

–––––––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उ0प्र0 सरकार बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जिला गाजीपुर।
2– डी०जी०सी क्रिमिनल बजरिये जिलाधिकारी, गाजीपुर।
3– सन्तोष कुमार सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र मुख्तार सिंह निवासी ग्राम रजदेपुर देहाती, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर।

––––––––विपक्षीगण

मु०अ०सं०–254/2026
धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता
थाना–कोतवाली, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः श्री राजकुमार जायसवाल, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

06–06–2026 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त बहादुर यादव उर्फ घूरा यादव की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–254/2026, धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सन्तोष कुमार सिंह द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसका सगा छोटा भाई दुर्गेश सिंह की दिनांक–20–03–2026 को बस सं० यू0पी0 52एफ–4985 को बुकिंग करके उतरौली के मनियर ब्रह्मस्थान को प्रार्थी का छोटा भाई दुर्गेश अपनी पत्नी व बच्चों के साथ तथा और यात्रियों के साथ अपने बस चालक बहादुर यादव के साथ गया था और दिनांक 21–03–2026 को वापसी लगभग 10.00 बजे उतरौली बस में सवार समस्त यात्रियों को उतरौली उतारने के पश्चात बस चालक बहादुर यादव व दुर्गेश व दुर्गेश की पत्नी ज्योति सिंह एवं दुर्गेश का 8 माह का बच्चा एवं छोटी बच्ची गाजीपुर के लिये उतरौली से चले और दुर्गेश को बस चालक बहादुर यादव व ज्योति सिंह मिलकर शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करके उन दोनों ने मिलकर हत्या कर दिये जिसकी रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थी प्रभारी निरीक्षक, सदर कोतवाली, गाजीपुर को लिखित दरखास्त दिया लेकिन प्रार्थी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। प्रार्थी संतोष कुमार सिंह पुत्र मुख्तार सिंह मुहल्ला रजदेपुर देहाती, निकट खोआमण्डी, थाना कोतवाली, जिला– गाजीपुर का रहने वाला है। प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है और सेना से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् अपने परिवार सहित लखनऊ में रहता हूँ। प्रार्थी का छोटा भाई दुर्गेश सिंह जो उक्त बस संख्या यूपी–52एफ–4985 का संचालन करता है अर्थात चलवाता है। उक्त बस का चालक बहादुर यादव मो0नं0–7880345364 है। पूर्व से ही ड्राईवर उसके यहाँ कार्य करता रहा है और दुर्गेश (मो0नं0–

9118518186) को अन्धकार में रखते हुए दुर्गेश की पत्नी ज्योति सिंह मो0नं0–9984670052 से अनैतिक शारीरिक संबंध बना रखा था, क्योंकि घर पर प्रार्थी के पिता मुख्तार सिंह जो बहुत ही बुजुर्ग एवं कान से कम सुनाई देता एवं दृष्टि दोष से ग्रसित है। दिनांक–20–03–2026 को दुर्गेश सिंह द्वारा अपनी बस बुक करके ग्राम उतरौली से मनियर ब्रह्म स्थान लोगों को दर्शन कराने हेतु ले गये। बस में दुर्गेश सिंह व उनकी पत्नी ज्योति सिंह तथा दुर्गेश की पुत्री उम्र लगभग ढाई वर्ष तथा लड़का उम्र लगभग 8 माह का है वे भी साथ में यात्रियों के साथ दर्शन करने गये थे और बस चालक बहादुर यादव बस को चलाकर ले गया था। दर्शन कराकर दिनांक 21–03–2026 को वापसी ग्राम उतरौली बस चालक बस लेकर पहुंचा तथा बस में सवार और दर्शनार्थी/ यात्रियों को 10.00 बजे ग्राम उत्तरौली उतार कर पुनः बस को गाजीपुर लेकर बस चालक व व दुर्गेश व उनकी पत्नी व बच्चे चल दिये। बहादुर यादव यादव व ज्योति सिंह का शारीरिक अनैतिक संबंध होने के चलते दोनों मिलकर एक साजिश व योजना के तहत दुर्गेश को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दोनों मिलकर दुर्गेश का गला दबाकर हत्या कर दिये और उक्त बस में मरे हुए दुर्गेश दुर्गेश को लेकर हास्पिटल न ले जाकर बहादुर यादव पुत्र स्व मक्खन यादव बस चालक अपने गांव अरसदपुर थाना–जंगीपुर, गाजीपुर लेकर चला गया जिसमें दुर्गेश की हत्या में संलिप्त रहकर बस चालक बहादुर यादव के साथ उसके घर गयी और रात भर उसके साथ गुजारी। न ही उक्त घटना की सूचना दुर्गेश के किसी परिजन को दिये जबकि ज्योति सिंह के पास दो–दो मोबाईल व बहादुर के पास मोबाईल था लेकिन दोनों मिलकर किसी को सूचना न देते हुए एवं मृतक दुर्गेश को हास्पिटल न ले जाकर अपनी बस में रखकर और गाजीपुर से मृतक को बस चालक बहादुर यादव अपने मूल गांव अरसदपुर ले जाना अपने आप में संदेहास्पद एवं विश्वस्त आधार है कि बाहदुर एवं ज्योति सिंह सुनियोजित ढंग से दुर्गेश की हत्या कर दिये है और दूसरे दिन दिनांक 22–03–2026 को बहादुर यादव व ज्योति सिंह समय लगभग 6.30 बजे प्रातः उक्त बस को अरसटपुर से गाजीपुर रौजा स्थित विश्वनाथ कोल्डस्टोरेज के सामने खड़ा करके रौजा स्थित कालोनी प्रार्थी के चाचा श्री संग्राम सिंह के आवास पर बहादुर बस चालक जाकर सूचना दिया कि बस में दुर्गेश मर गये है। लग रहा है उनको हार्ट अटैक हो गया है जिस पर प्रार्थी व उसके चाचा व परिवार के अन्य लोग उपस्थित हुए और उक्त घटना की जानकारी परिजनों को हुई जो सभी लोग मिलकर मृतक दुर्गेश सिंह को लेकर रजदेपुर स्थित आवास पर ले आये और बस चालक बहादुर यादव एवं दुर्गेश की पत्नी ज्योति सिंह के बातों पर विश्वास करके प्रार्थी व परिवार के लोगों ने दुर्गेश मृतक का दाह संस्कार कर दिये। जब प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार द्वारा मृतक दुर्गेश की पत्नी ज्योति सिंह से मौत के कारण की जानकारी करना शुरू किये तो ज्योति सिंह की बात से स्पष्ट हो गया कि ज्योति सिंह व ड्राईवर बहादुर यादव मिलकर प्रार्थी के छोटे भाई दुर्गेश की हत्या शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर उसके सीने पर चढकर मौत/हत्या को अंजाम दिये है। ज्योति सिंह की बात एवं ज्योति सिंह की नाबालिग ढाई साल की बच्ची से पूछने पर यह स्पष्ट रूप से बोली कि पापा दुर्गेश सिंह की गला दबा कर हत्या कर दी गयी है। बहादुर यादव व ज्योति एक साजिश में होकर उक्त घटना को अंजाम दिये है। उसके पीछे बहादुर यादव व ज्योति सिंह का अनैतिक संबंध होने के कारण उसके छोटे भाई दुर्गेश को दोनों मिलकर रास्ते से हटाये है। जब प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के लोग ज्योति सिंह व बहादुर सिंह से उक्त घटना के बारें में जानकारी हो जाने के पश्चात् दोनो हत्यारे उसके छोटे भाई की हत्या करके मुकदमा में फंसने व गिरफ्तार होने के भय से फरार है। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण बहादुर यादव व ज्योति सिंह के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 254/2026, अन्तर्गत धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है व

स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है। वादी मुकदमा ने जानबूझकर अपने छोटे भाई को जो कि वादी से अलग रहता था और वादी से कोई सम्बन्ध नहीं रखता था तथा अपनी भवः को हमेशा प्रताड़ित करता था और उसको घर मकान में भी कोई हिस्सा देने को तैयार नहीं था और जानबूझकर के घटना के लगभग 25–26 दिन बाद झूठा एफ०आई०आर० दर्ज कराया गया। वादी का छोटा भाई अपने भाई वादी संतोष कुमार सिंह के व्यवहार से दुखित होकर शराब पीने लगा था और उसकी हत्या में वादी एवं वादी के हेली–मेली का पूरा हाथ है। इसी कारण दुर्गेश सिंह की मृत्यु के बाद भी वादी उसकी पत्नी से प्रतिशोध लेना चाहता है, जिसके कारण बहादुर यादव को मोहरा बनाकर चरित्रहीन दिखाकर झूठा एफ०आई०आर० कर दिया। मृतक दुर्गेश सिंह की मृत्यु स्वभाविक रूप से हृदयघात के कारण हुई इसलिए दुर्गेश सिंह का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और यह सही है कि बस संख्या UP52 F–4989 को चलाकर आवेदक/अभियुक्त मनियर गया था और वापस आकर बस को खड़ा करके घर चला आया। कथित घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। वादी मुकदमा जमीन जायदाद के हिस्सेदारी से बचने के लिए मकान में हिस्सा न देना पड़े इसलिए झूठे मुकदमें में फंसाना चाहते है। यह भी स्मरणीय है कि वादी मुकदमा गाजीपुर में नहीं रहते है और ज्योति सिंह के पति की मृत्यु कैसे हुई इसकी जानकारी वादी मुकदमा को कैसे हुई। यदि वादी मुकदमा को मृत्यु के तौर तरीकों की जानकारी थी तो शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। आवेदक/अभियुक्त वाहन चाहक है और वाहन चलाकर अपने परिवार एवं बच्चों का भरण–पोषण करता है। आवेदक/अभियुक्त की पत्नी है और आवेदक/अभियुक्त एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखता है और समाज में आवेदक/अभियुक्त एवं उसके परिवार को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। उक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के छोटे भाई की हत्या कारित करने में संलिप्तता पायी गयी है। उक्त के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्ता ज्योति सिंह के साथ मिलकर मृतक दुर्गेश सिंह की हत्या कारित करने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि मृतक दुर्गेश सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का अवैध संबंध आवेदक/अभियुक्त से था एवं घटना तिथि को दोनों ने शराब में नशीला पदार्थ मिलकर मृतक दुर्गेश सिंह को पिला दिया एवं उसके सीने पर चढ़ कर उसकी हत्या कारित कर दिया। वादी मुकदमा को यह बात मृतक दुर्गेश सिंह की नाबालिक ढाई साल की पुत्री से पता चली है। विवेचक के समक्ष दिये गये बयान में वादी मुकदमा ने भी प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है एवं स्पष्ट कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त एवं ज्योति सिंह ने पहले से बनायी हुई साजिश के तहत उसके भाई दुर्गेश सिंह को शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद दोनों ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय दुर्गेश की लाश को बस में ही रखकर आवेदक/अभियुक्त बहादुर यादव अपने गाँव अरसदपुर लेकर चला गया, जहाँ ज्योति सिंह भी उसकी साथ गयी और रात भर वही रही। दोनों के पास मोबाईल होने के बावजूद भी इन लोगों ने वादी मुकदमा अथवा उसके परिवार को कोई सूचना नहीं दी। वादी मुकदमा की ओर से संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मृतक दुर्गेश सिंह की मृत्यु होने के पश्चात वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 28–03–2026 को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ०प्र०, पर भी मृतक दुर्गेश सिंह की हत्या होने के बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु शिकायती प्रार्थनापत्र दर्ज कराया था। इसके पश्चात दिनांक 30–03–2026 को पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, को भी पत्र लिखा था। इसके पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी मण्डल को भी पत्र भेजा। इसके पश्चात मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रस्तुत मामले में अभी विवेचना जारी है तथा अन्य

तथ्य प्रकाश में आने शेष है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य जो तर्क लिये गये है, वे मामले के गुण दोष से संबंधित है जिसका निस्तारण इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। आवेदक/अभियुक्त पर एक गम्भीर अपराध कारित करने का अभियोग है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने का उचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

6– आवेदक/अभियुक्त बहादुर यादव उर्फ घूरा यादव द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 06–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर
JO CODE: U.P. 2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.06 19:08:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court